बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–02/टैक्स माफी–66/2003 परि0 पटना, दिनांक–

जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–367 दिनांक–13.05.2017 द्वारा शल्य चिकित्सक–सह–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज के तीनों वाहनों (एम्बूलेंस) से संबंधित कर गणना अभिलेख संख्या–01/2016–17 द्वारा कर–₹50,068.00 एवं अर्थदण्ड–₹1,00136.00 सहित कुल ₹1,50,204.00, अभिलेख संख्या–02/2016–17 द्वारा कर ₹50,068 एवं अर्थदण्ड ₹1,00136.00 सहित कुल ₹1,50,204.00 तथा अभिलेख संख्या–03/2016–17 द्वारा कर ₹50,068 एवं अर्थदण्ड ₹1,00136.00 सहित कुल ₹1,50,204.00 रुपये मात्र के कर माफी किये जाने हेतु उपर्युक्त तीनों कर गणना अभिलेखो द्वारा कुल कर (अर्थदण्ड सहित) ₹1,50,204 x 3 = ₹4,50,612/– (चार लाख पचास हजार छः सौ बारह) रुपये की माफी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 सहपठित धारा–23 के परन्तुक की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा शल्य चिकित्सक–सह–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज के पद नाम से क्रय की गयी तीनों वाहनों (एम्बूलेंस) के कुल कर (अर्थदण्ड सहित) **₹ 4,50,612/– (चार लाख पचास हजार छः सौ बारह) रुपये** मात्र की माफी इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इस एम्बूलेंस का वाणिज्यक उपयोग नहीं किया जाएगा एवं रोगियों को इसकी सेवा निःशुल्क दी जाय, यदि इसका वाणिज्यक उपयोग होते पाया जायेगा तो पूर्ण कर एवं अर्थदण्ड की राशि निबंधन की तिथि से वसूलनीय होगी। उपर्युक्त कार्यालय के वाहन से संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	इंजन सं0	चेचिस सं0	एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड (रुपये में)
1.	AMBULANCE	D63033969	MC1E4CKA6HP043239	₹ 1,50,204.00
2.	AMBULANCE	D63033655	MC1E4CKA4HP043241	₹ 1,50,204.00
3.	AMBULANCE	D63035171	MC1E4CLA7HP043734	₹ 1,50,204.00
Total				**₹ 4,50,612.00**

जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज को उनके कार्यालय के पत्रांक–367 दिनांक–13.05 2017 द्वारा भेजे गये अभिलेख संख्या–01/2016–17, 02/2016–17 एवं 03/2016–17 की मूलप्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त कार्यालय के वाहन का क्रय पदनाम से किया गया है। अतः इसका निबंधन शल्य चिकित्सक–सह–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज के पद नाम से ही किया जाय। साथ ही सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि यथावत प्राप्त किया जाय।

ह0/–
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/टैक्स माफी–66/2003 परि0 3933 पटना, दिनांक– 26.07.17

प्रतिलिपि :– जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज/शल्य चिकित्सक–सह–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।